फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/7/24	पत्रवाली पेश हुई। पैरोकार सरकार उप.। प्रतिवादी अधिवक्ता उप.। उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर सगौर अवलोकन के पश्चात् हम पाते है कि पैरोकार सरकार ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम बांसखोह, तहसील बस्सी के आराजी खसरा नं. 528/3 रकबा 1.07 बीघा कृषि भूमि जो राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा 1.03 बीघा भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये एग्रीमेन्टों पर बेचान कर पुख्ता निर्माण करवा दिया गया है, जो खातेदारी अधिकारों के विपरीत कार्य किया गया है एवं भूमिधारी के अधिकारों पर कुठाराघात है। जिसके लिए अंतर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दावा प्रस्तुत किया गया है ताकि भूमिधारी (राज्य सरकार) के अधिकारों की सुरक्षा हो सके। अतः	(signature)

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त खसरा नंबर कृषि भूमि को प्रतिवादीगण की खातेदारी से हटाई जाकर राजकीय सिवायचक घोषित की जावे एवं प्रतिवादीगण को विवादित भूमि से बेदखल करने का आदेश जारी किया जावे। प्रतिवादीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त वादपत्र में वर्णित भूमि का उपभोग-उपयोग केवल कृषि कार्य के लिए ही किया जा रहा है। प्रतिवादीगण ने अपनी रजिस्ट्री से खरीदशुदा भूमि के चारों ओर फसल की सुरक्षा के लिए चारों ओर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण करवाया है और उसे पशुओं का चारा उगाने के काम में आदिनांक तक लिया जा रहा है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा खातेदारी अधिकारों के विपरीत कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि को राजकीय सिवायचक घोषित कर प्रतिवादीगण को उनकी खातेदारी भूमि से बेदखल किया जाता है तो

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		प्रतिवादीगण अपने जायज अधिकारों से महरूम हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में वादी का वादपत्र खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन करने के पश्चात् आदेश दिया जाता है कि प्रा॰ पत्र में वर्णित उक्त रकबा नंबर पर यदि अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी गैर कृषि कार्य किया जा रहा हो तो उसे कृषि कार्य में परिवर्तन करें। यदि न्यायालय के निर्णय दिनांक से तीन माह की अवधि के पश्चात् कोई भी गैर कृषि कार्य बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पाया जाता है तो उक्त आराजी पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर भूमि भूमिधारक में निहित समझी जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नंबर से कम हो इस आशय कि तहसीलदार बस्सी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

सहायक कलक्टर